प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 06.08.2025

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा हत्या का प्रयास करने के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02.08.2025 को थाना लोनी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तों द्वारा एक राय होकर वादिया के देवर शिवा पर हमलावर होकर गाली-गलौज कर जान से मारने की नीयत से हमला करना व जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा 109(2)/131/115(2)/351(2)352/109(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 06.08.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्तगण 1.अभय उर्फ नानू पुत्र स्व0 विनय शर्मा निवासी लक्ष्मी गार्डन परमहंस विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष 2.राहुल भाटी पुत्र स्व0 सतपाल भाटी निवासी लक्ष्मी गार्डन परमहंस विहार थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 190/191(3) की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त अभय उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि हमारा कांवड के दौरान कांवड को लेकर शिवा से झगडा हो गया था उस दिन से ही मैं इतंजार में था कि शिवा कब अकेले में मिले ,उस दिन शिवा अकेला मिल गया था तभी मैंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उस पर चाकू से वार किये थे तथा राहुल ने हाथ में लिये डंडे से उसके ऊपर वार किये थे और चाकू तथा डंडे को बहते हुए नाले में फेंककर भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.अभय उर्फ नानू पुत्र स्व0 विनय शर्मा निवासी लक्ष्मी गार्डन परमहंस विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष
2.राहुल भाटी पुत्र स्व0 सतपाल भाटी निवासी लक्ष्मी गार्डन परमहंस विहार थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा राजस्व हानि कर आम जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाला तथा जाली नोट चलाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 500- 500/- रु0 के कुल 566 नोट (02 लाख 83 हजार रूपये) जाली भारतीय करैन्सी बरामद।

दिनांक 06.08.2025 को थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा गश्त/चैकिंग के दौरान राजस्व हानि करते हुये आम जनता के साथ धोखाधड़ी कर जाली नोट चलाने वाला 01 अभियुक्त उज्ज्वल झा पुत्र प्रभाकर झा निवासी म0नं० 275 सुशीला गार्डन, मंडोली थाना हर्ष विहार दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष को 500–500/-रु के कुल 566 नोट (02 लाख 83 हजार रूपये) जाली भारतीय करैन्सी नोट सहित साहिबाबाद रेलवे अण्डर पास सेक्टर-1 वसुन्धरा के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त उज्ज्वल के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण – गिरफ्तार अभियुक्त उज्ज्वल से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि फैसबुक के माध्यम से अज्ञात व्यक्ति से अभियुक्त का सम्पर्क हुआ था और दोनों ने आपस में मोबाइल नम्बर का आदान-प्रदान कर लिया था। अभियुक्त ने उस मो0नं0 पर फोन किया तो अज्ञात व्यक्ति ने अभियुक्त से एक लाख असली रुपयों के बदले में जाली तीन लाख रुपये दिये थे। अभियुक्त

उज्ज्वल द्वारा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में नकली नोट चलाये जा रहे थे। आज दिनांक 06.08.2025 को अभियुक्त उज्ज्वल नकली नोटों को चलाने के लिये गाजियाबाद आया था जिसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। अज्ञात अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर लगातार प्रयास किया जा रहा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

उज्ज्वल झा पुत्र प्रभाकर झा निवासी म0 नं० 275 सुशीला गार्डन, मंडोली थाना हर्ष विहार दिल्ली उम्र करीब 26 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

कब्जे से 500- 500/- रु के कुल 566 नोट (02 लाख 83 हजार रूपये) जाली भारतीय करैन्सी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त उज्ज्वल के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बैंक लोन दिलाने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कूटरचित दस्तावेज, 03 लेपटॉप मय चार्जर, 08 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, मोहर, पैन ड्राइव, सिम कार्ड, 5 लाख 10 हजार रूपये व घटना में प्रयुक्त 01 गाड़ी बरामद।

दिनांक 03.08.2025 को थाना कौशाम्बी पर वादी श्री रिंगकेश कुमार authorized signatory BAJAJ FINANCE LIMITED ऑफिस पता– द्वितीय तल केएम ट्रेड टावर कौशाम्बी की लिखित तहरीर के आधार पर बनाम विष्णु पाण्डेय आदि 11 अभियुक्तों द्वारा बजाज फाईनेन्स लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न बैंको से धोखाधड़ी से 15011306-/ रुपये का लोन कराने तथा लोन की किस्त जमा न करने के सम्बन्ध में धारा 406 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक 05.08.2025 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान यशोदा हास्पिटल के सामने सर्विस रोड से मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों 1. गौरव दुआ पुत्र हरीश दुआ नि0 ए 10 नेहरु ग्राऊन्ड एनआईटी नियर 999 रेस्टोरेन्ट फरीदाबाद जिला फरीदाबाद उम्र 41 वर्ष, 2. देवेश बसौया पुत्र जय सिंह बसौया नि0 42 गढी ईस्ट आफँ कैलाश लाजपत नगर दिल्ली 29 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से कूटरचित दस्तावेज, 03 लेपटॉप मय चार्जर, 08 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, मोहर, पैन ड्राइव, सिम कार्ड इत्यादि, 5 लाख 10 हजार रूपये व घटना में प्रयुक्त 01 गाड़ी बरामद हुये। गिरफ्तार अभियुक्त गौरव दुआ व देवेश बसौया के विरुद्ध धारा 406 भा0द0वि0 में धारा 467,468,471,411,120 बी भा0द0वि0 की बढोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त गौरव दुआ व देवेश बसौया से पुछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि ये अभियुक्तगण आपस में मिलकर सीधे- साधे व अनपढ़ लोगो को लोन का झाँसा देकर उनको अलग-अलग कम्पनियों में अच्छे पद पर नियुक्त दिखाते थे तथा उनका सिविल बैंक में अच्छा कराकर अलग-अलग बैंको से उनके नाम पर लोन करा लेते थे तथा बैंक द्वारा मिलने वाले लोन के पैसो से उन लोगों को अच्छी सैलेरी देते थे और बाकि पैसा खुद हड़प लेते थे। जिससे उन लोगो को अभियुक्तों पर कभी शक न हो इसलिये फर्जी आईकार्ड बना देते थे और अपने पास नकली मोहर रखते थे तथा कूटरचित दस्तावेज बनाकर बैंको के साथ धोखाधड़ी करते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः

1. गौरव दुआ पुत्र हरीश दुआ नि0 ए 10 नेहरु ग्राऊन्ड एनआईटी नियर 999 रेस्टोरेन्ट फरीदाबाद जिला फरीदाबाद उम्र करीब 41 वर्ष।

2. देवेश बसौया पुत्र जय सिंह बसौया नि0 42 गढी ईस्ट आफँ कैलाश लाजपत नगर दिल्ली उम्र करीब 29 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

कुटरचित दस्तावेज, 03 लेपटॉप मय चार्जर, 08 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, मोहर, पैन ड्राइव, सिम कार्ड इत्यादि, 5 लाख 10 हजार रूपये व घटना में प्रयुक्त 01 गाड़ी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहासः-

➢ गिरफ्तार अभियुक्त गौरव दुआ व देवेश के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

ट्रांस-हिंडन जोन में थानों पर गठित साइबर सेल द्वारा 27 लाख रुपये की रिकवरी कर पीड़ितों को लौटाए

साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ चल रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए कमिश्नरेट गाज़ियाबाद के ट्रांस-हिंडन जोन में थानों पर गठित साइबर सेल ने पिछले दो महीनों में कुल ₹ 27,00,000/- की राशि रिकवर कर साइबर अपराध पीड़ितों को वापस लौटा दी है।

जिन लोगों की राशि वापस की गई, वे विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन ठगी जैसे यूपीआई फ्रॉड, फेक कस्टमर केयर हेल्पलाइन, फर्जी निवेश योजनाएं, और ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के शिकार हुए थे।यह राशि पीड़ितों की समय पर शिकायत, साइबर टीमों की त्वरित जांच, और बैंकों व पेमेंट गेटवे के साथ प्रभावी समन्वय के माध्यम से बरामद की गई।

रिकवरी की प्रमुख प्रक्रिया:-

- शिकायत पर त्वरित कार्रवाई: हेल्पलाइन नंबर, थानों और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर 'गोल्डन ऑवर्स' के भीतर तुरंत कार्रवाई की गई, जिससे धोखाधड़ी वाले लेनदेन को ट्रैक और फ्रीज़ किया जा सका।
- वित्तीय संस्थानों से समन्वय: बैंकों, पेमेंट गेटवे और नोडल अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाकर संदिग्ध खातों को तुरंत फ्रीज़ कराया गया।
- साइबर टूल्स का इस्तेमाल: उन्नत साइबर फोरेंसिक टूल्स की मदद से लेनदेन की राह, म्यूल अकाउंट्स और धोखेबाज़ों के अकाउंट्स का पता लगाया गया।

इस अवसर पर लाभार्थियों ने गाजियाबाद पुलिस के त्वरित और सहयोगात्मक रवैये की सराहना की। डीसीपी ट्रांस-हिंडन जोन ने कहा, **"जनता का सहयोग पुलिस कार्रवाई जितना ही महत्वपूर्ण है। समय पर रिपोर्ट करने से हमारी रिकवरी की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। हम नागरिकों से अपील करते हैं कि संदिग्ध लिंक, अज्ञात कॉल या अत्यधिक आकर्षक ऑफ़रों से सतर्क रहें।"**

नागरिकों के लिए सावधानी के सुझाव:-

1. अपना ओटीपी, पिन या बैंक पासवर्ड किसी से साझा न करें।
2. किसी निवेश योजना या ऑनलाइन विक्रेता को भुगतान करने से पहले उसकी प्रामाणिकता अवश्य जांचें।
3. केवल आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए ग्राहक सेवा नंबर का ही उपयोग करें।
4. किसी भी संदिग्ध लेनदेन की तुरंत सूचना 1930 हेल्पलाइन या www.cybercrime.gov.in पर दें।

गाजियाबाद पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के लिए भौतिक और डिजिटल, दोनों क्षेत्रों में पूरी तरह प्रतिबद्ध है और साइबर अपराधों से निपटने के लिए अपनी जांच क्षमताओं को लगातार मजबूत करती रहेगी।

थाना कौशाम्बी पुलिस व O.N.G.C. संस्था के सहयोग से थाना कौशाम्बी क्षेत्रान्तर्गत नि:शुल्क हेलमेट वितरण कार्यक्रम

पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय के दिशा-निर्देशों के क्रम में दिनांक 06.08.2025 को बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के विरूद्ध अभियान के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में कमी लायी जाने हेतु दो पहिया वाहन पर चालक व पीछे बैठी सवारी के द्वारा हेलमेट का प्रयोग अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से आज थाना कौशाम्बी क्षेत्र में सड़क सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने और दो-पहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से श्रीमान पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन जोन एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त इन्दिरापुरम महोदय के नेतृत्व में O.N.G.C. संस्था के सहयोग से एक विशेष हेलमेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, यातायात नियमों का पालन न करने वाले दो-पहिया वाहन चालकों को जागरूक करने के साथ-साथ उन्हें नि:शुल्क आई0एस0आई0 मार्का के कुल 200 हेलमेट (100 महिला व 100 पुरुष हेलमेट) वितरित किए गए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था कि लोग स्वयं की सुरक्षा को प्राथमिकता दें, और बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन न चलाएं। हेलमेट केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए पहनना जरूरी है। मौके पर उपस्थित आमजनों के द्वारा थाना कौशाम्बी पुलिस की इस पहल की काफी सराहना की। हेलमेट वितरण के साथ-साथ उपस्थित लोगों को यातायात नियमों/सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी भी दी गई।

थाना कौशाम्बी पुलिस गाजियाबाद सभी वाहन चालकों से अनुरोध करती है, कि दो पहिया वाहन पर चालक व पीछे बैठी सवारी प्रत्येक दशा में हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें।

सड़क सुरक्षा - जीवन रक्षा

साइबर सुरक्षा जागरूकता संगोष्ठी

पुलिस कमिश्नर श्री जे. रविन्दर गौड़ के निर्देशानुशार सहायक पुलिस आयुक्त इन्दिरापुरम श्री अभिषेक श्रीवास्तव, साइबर थाना प्रभारी श्री संतोष तिवारी और थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा ऑलिव काउंटी सोसाइटी वसुन्धरा में एक संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य जनता को साइबर अपराधों की घटनाओं से सतर्क करना और आम जनमानस में विशेष जागरुकता निर्माण करना। इस संगोष्ठी में सहायक पुलिस आयुक्त इन्दिरापुरम श्री अभिषेक श्रीवास्तव ने लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जागरूकता से साइबर अपराधों पर लगाम लगाई जा सकती है। इस दौरान लोगों के लिए कुछ आवश्यक गाइडलाइंस भी जारी की गई। सहायक पुलिस आयुक्त इन्दिरापुरम श्री अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस कमिश्नर महोदय के

निर्देशन में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं उनसे बचाव के लिए आम नागरिक सीनियर सिटीजन, RWA, व्यापारी को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस टीम के साथ एक विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह अभियान सतत रूप से संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में सर्किल इन्दिरापुरम क्षेत्र में लोगों के साथ विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन समय-समय पर किया जाएगा।

संगोष्ठी में वर्तमान समय में हो रहे नए-नए साइबर अपराधों से लोगों को अवगत कराया गया तथा उनसे बचने के उपायों की बारे में भी बताया गया यह भी समझाया गया कि साइबर ठगी होने पर क्या कार्यवाही की जानी चाहिए और इससे बचाव हेतु क्या सावधानी रखनी चाहिए। नागरिकों को बताया गया की साइबर अपराधी फर्जी ई-चालान नौकरी के झांसे बैंक वेरीफिकेशन लालच भरी योजनाएं जैसी भ्रामक सूचनाओं के माध्यम से लोगों की बैंक डिटेल और व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त कर ठगी करते हैं। पुलिस टीम द्वारा नागरिकों को साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर की भी जानकारी दी गई।

जागरूकता अभियान भविष्य में निरंतर जारी रहेगा ताकि साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके और एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण सृजित किया जा सके संदिग्ध साइबर गतिविधि या ऑनलाइन ठगी की स्थिति में तुरंत 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। इस संगोष्ठी में सहायक पुलिस आयुक्त इन्दिरापुरम श्री अभिषेक श्रीवास्तव, साइबर थाना प्रभारी श्री संतोष तिवारी, थाना प्रभारी इन्दिरापुरम रवेंद्र गौतम व साइबर सैल थाना इन्दिरापुरम के पुलिस कर्मी उपस्थित रहे।